झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत) 10/2022 - 157

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 27.02.2023

विषयः– गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रखण्ड के जयनगरा गांव के 80 लोगों को मृत बताकर राशन कार्ड रद्द कर दिये जाने संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–713 दिनांक–05.09.2022 एवं पत्रांक–771 दिनांक–28.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक–04.01.2023 को गढ़वा जिला अन्तर्गत कांडी प्रखण्ड के जयनगरा गांव में 80 जीवित लोगों को मृत बताकर राशनकार्ड निरस्त कर दिये जाने संबंधी समाचार प्रकाशित हुई है। प्रकाशित समाचार में गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रखण्ड के खरौंधा पंचायत के जयनगरा गांव के 80 व्यक्तियों को वर्ष 2016 में ही मृत बताकर राशन कार्ड रद्द कर दिये जाने का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी उक्त से संबंधित समाचार दिनांक–23.08.2022 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी। साथ ही इस संबंध में श्री सोनू सिंह, ग्राम–सहिजना रोड, पो0+जिला–गढ़वा का परिवाद पत्र भी आयोग को प्राप्त हुआ था, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु आयोग के प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभाग को भेजी गई थी।

अतः उपरोक्त प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

27/2/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

Mo.No.-9546472216 Date-04-01-2022 Complain no.- WA/010/2023

(124)

दैनिक भास्कर

गढ़वा 04-01-2023

संचिका में उपस्थापित करें

5.1.23

आयोग ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के लिए डीसी को लिखा, मामले की रिपोर्ट भी सौंपने का निर्देश दिया

कांडी के जयनगरा में 80 जीवित लोगों को मृत बता राशन कार्ड निरस्त करने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

इधर, सात सालों से सरकारी राशन से वंचित एक बड़ी आबादी अपने को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में परेशान

भास्कर न्यूज | कांडी

गरीबों की लाइफलाइन जन वितरण प्रणाली के अनाज से साजिशपूर्वक वंचित कर दिए गए लाभुकों ने मरता क्या नहीं करता की तर्ज पर प्रशासन की दहलीज पर आमरण अनशन किए जाने का निर्णय ले लिया है। इसके सिवा उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा। इस हाल में भुखमरी की पीड़ा झेल रहे कई लोगों ने कहा कि अब या तो हाकिम इंसाफ करते हुए अनाज दिलाने की राह निकालेंगे या तमाम भूखे प्यासे लोग वहीं पड़े रहेंगे। इस गंभीर मामले को लेकर उप मुखिया रविरंजन मेहता ने कहा कि राशन कार्ड से वंचित कर दिए गए जयनगरा गांव के लोग बाल बच्चों के साथ उपायुक्त कार्यालय के सामने बेमियादी धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन करेंगे। इधर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वाद दर्ज कर डीसी को कार्रवाई के लिए लिखा है। मालूम हो कि कांडी प्रखंड अंतर्गत खरौंधा पंचायत के जयनगरा गांव निवासी 80 पीडीएस कार्डधारी लाभुकों को 2016 में ही मृत बताकर उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है। अगर एक कार्डधारी के परिवार में औसतन पांच सदस्य भी माना जाए तो करीब चार सौ व्यक्ति पिछले सात सालों से सरकारी राशन से वंचित हैं। उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा। राशन कार्ड से होनेवाले अन्य अति आवश्यक कार्यों से तो यह आबादी वंचित हो ही गई है। सबसे बड़ी विडंबना है कि छह वर्षों के लंबे कालखंड में इन्हें पता भी नहीं चला कि आखिर उन्हें उनका राशन क्यों नहीं मिल रहा। जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत से लेकर प्रखंड कार्यालय तक की दौड़ लगा लगा कर वे हार गए। लेकिन उन्हें किसी ने यह भी नहीं बताया कि उन्हें सरकारी राशन क्यों नहीं मिल रहा। करीब दो साल विलंब से हुए पंचायत चुनाव के बाद आपूर्ति प्रणाली का पोर्टल खोलने के बाद पता चला कि उन्हें तो मृत घोषित कर उनका राशन कार्ड ही निरस्त कर दिया गया है।

आखिर कैसे करें साबित कि वे जिंदा हैं : अपने को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में उनके पसीने छूट रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कांडी के कार्यालय में इस बात की गुहार लगा लगाकर वे थक चुके हैं। इसके बाद उन्होंने जिला के प्रशासनिक प्रमुख का रुख किया। 22 अगस्त 2022 को बड़ी संख्या में मृत घोषित कार्डधारियों ने उपायुक्त से अपने जिंदा होने की दुहाई दी। ताकि इस भीषण अकाल में राशन कार्ड के साथ साथ मृत वत पड़े कार्डधारी व उनके परिजन भी जीवित हो सकें। इस मौके पर युवा समाजसेवी पुष्परंजन, जिप सदस्य प्रतिनिधि दिनेश कुमार, उप मुखिया रविरंजन मेहता आदि भी लाभुकों के साथ उपायुक्त से मिलनेवालों में शामिल थे। डीसी रमेश घोलप ने कांडी बीडीओ को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक कंप्यूटर आपरेटर को साथ लेकर गांव में जाएं एवं एक एक लाभुक की जांच कर मामले को शॉर्ट आउट कर संबंधित का राशन कार्ड चालू करें। लेकिन इस दिशा में आजतक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गयी। आजतक मामला ज्यों का त्यों लटका हुआ है। कार्रवाई नहीं होने से हताश एवं निराश लाभुकों की कठिन परिस्थिति को लेकर युवा समाजसेवी पुष्परंजन, उप मुखिया रविरंजन मेहता व अन्य ने फिर एक बार उपायुक्त से मिलकर इस मामले में कार्रवाई का आग्रह किया था। लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।

मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान : प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सिंह ने इस गंभीर मामले की जानकारी होने पर जयनगरा जाकर पीड़ित व प्रभावित लोगों का मौके पर जायजा लिया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के इस गंभीर उल्लंघन के मामले को लेकर सोनू सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा। आयोग ने जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित किए जाने को गंभीर मामला बताते हुए एनएचआरसी 1344/34/7/2022 दिनांक 29 नवंबर 2022 के तहत वाद दर्ज कर जिला के उपायुक्त रमेश घोलप को कार्रवाई के लिए लिखा। आयोग ने कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की भी मांग की है। इसकी सूचना झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को भी दी गयी है। एक माह तक कार्रवाई नहीं होने पर डीसी को 31 दिसंबर को रिमाइंडर भी दिया गया है।

पीड़ितों में गांव की बड़ी आबादी है शामिल : अपने को जिंदा साबित करने की फरियाद करनेवालों में कुंती कुंवर, पार्वती देवी, जीरा देवी, सुषमा देवी, मालती देवी, जुगती देवी, आशा देवी, पुनम देवी, सुशीला देवी, तेतरी कुंवर, कलोला देवी, मीना देवी, कांती देवी, चिंता देवी, मंजू देवी, आरती देवी, भारती देवी, मंगरी देवी, प्रदीप मेहता, प्रवेश मेहता, सुदामा मेहता, महेंद्र राम सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं।